गाँवों का चयन, बेंच मार्क अध्ययन और रीफ उप–समितियों का गठन

जो के किषकूडन, आर नारायणकुमार, आर गीता, शोभा जो किषकूडन, रम्या एल

चट्टान कार्यक्रम के बारे में हम कैसे जानते हैं?

निश्चित स्थान पर कृत्रिम चट्टान निर्माण कठिन प्रयासों और और आकलन की लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के विभिन्न कदम नीचे दिए जाते हैं

→ निधि का स्रोत सुनिश्चित करना

→ परियोजना क्षेत्र में संभावित गाँवों की संख्या सूचीबद्ध करना

→ प्रारंभिक सहमति के लिए हितधारकों की प्राथमिक बैठक

→ गाँव में बेंचमार्क सर्वेक्षण और सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन

→ द्वितीय हितधारक बैठक, ए आर उप–समिति का गठन और न्यूनतम मत्स्यन संघर्ष और मानक नवाचारों वाले कुछ संभावित स्थानों पर पहुँचना।

→ प्रत्येक चयनित गाँव से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और स्वीकृति पत्र प्राप्त करना।

→ स्थान अध्ययन, गोताखोरी, अवसाद और प्राणिजातों पर अध्ययन और भौतिक मापदंड

→ आदर्श स्थान की पुष्टि और दस्तावेजीकरण

→ स्थान विनिर्देश के अनुसार विभिन्न मॉड्यूल, घनत्व और संयोजन की संभावित संख्या

→ निर्माण, अनुकूलन और स्थान पर परिवहन

→ कृत्रिम चट्टान उप–समिति के सदस्यों और मछुआरा नेताओं और राज्य मात्स्यिकी विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति में विनियोजन

→ चट्टान स्थान पर एकत्रित मछली संसाधनों के आधार पर मछुआरों द्वारा पत्तों के झुंडों और पेड़ों की शाखाओं को मॉड्यूलों में बांधकर रखना

→ लेआउट, अभिविन्यास और जी पी एस निर्देशकांक आगे की रिकार्ड और रख–रखाव के लिए समिति को

→ आसान पहुँच के लिए गाँव में एक सार्वजनिक स्थान पर समन्वयनकारों के नाम सहित प्रदर्शनी बोर्ड की स्थापना

→ जी पी एस निर्देशकों और कृत्रिम चट्टान स्थान की गहराई के साथ स्थानीय मछुआरा कार्यालय और निकटवर्ती मत्स्यन गाँवों को परिपत्र जारी करना

चित्र 16. संभावित गाँवों की सूची के लिए स्थानीय लोगों और कार्मिकों के साथ प्रारंभिक पूछताछ

चित्र 17. हितधारकों के साथ प्राथमिक बैठक

तटीय जिले और मत्स्यन गाँवों और अवतरण केन्द्रों की सूची देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्नावली का उपयोग करके एकत्रित जानकारी के साथ संभावित गाँवों के लिए जांच की जानी है–

क. गाँव / उप–गाँव का नाम/पंचायत/एफ सी एस/समाज/संघ का विवरण

ख. जांच सूचना

1. सक्रिय मछुआरों/पारंपरिक मछुआरों और कांटा डोर परिचालकों की संख्या
2. प्रमुख मत्स्यन तल, चट्टान, समन्वयनकारों और संसाधन
3. प्रमुख मत्स्यन गिअर और यान
4. निकटतम बाजार और नगर तक की पहुंच
5. निकटवर्ती प्राकृतिक चट्टान क्षेत्र या कृत्रिम चट्टान स्थान
6. पारंपरिक और कांटा डोर मत्स्यन का निकटवर्ती गॉव

7. तल पर चट्टान या चूना पत्थर वाले क्षेत्र

8. उद्योगों और आउटफॉल/ डिसचार्ज/ विस्तार/ घाट/अवशेष/ रिग/प्लेटफॉर्म तक निकटतम पहुँच

9. साल्ट पैन/दलदल/मुहानों/ई टी पी डिसचार्ज/अलवणीकरण प्लान्ट बहिर्गम/ तापीय प्लान्ट बहिर्गम से या तक की दूरी

10. क्या प्रस्तावित क्षेत्र समुद्री संरक्षित क्षेत्र/ समुद्री घास संस्तर/ समुद्री शैवाल संस्तर/ प्रवाल झाडी क्षेत्र/अभ्यारण्य/नो टेक जोन/ निषिद्ध क्षेत्र आदि के अंदर आता है

11. औसत ज्वारीय आयाम/तरंग गति/ और आविलता तथा अवसाद परिवहन की संभाव्यता यदि कोई हो.

12. क्या प्रस्तावित क्षेत्र जहाजों, पोतों, टग्स–पोताश्रयों और पत्तन और रक्षा पोतों के नौचालन विभाग/ महत्वपूर्ण नौचालन के मार्ग में आता है।

13. मछुआरे के इरादे, अभिरुचि, आम सहमति और आंदरिक या पड़ोस में न्यूनतम संघर्ष की सीमा।

संभावित गाँवों को सूचीबद्ध करने के बाद भौतिक दौरा करके मत्स्यन प्रथाओं, गहनता, मत्स्यन तल और संसाधन विशेषताओं से संबंधित तथ्यों पर सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। हितधारकों की प्राथमिक बैठक (पी एस एम) द्वारा यह किया जाता है। यदि अवधारणा चुने गए समूह के लिए सहमत है और मछुआरे प्रस्ताव पर आगे जानने के लिए उत्सुक हैं और अन्य सभी कारक और मानदंड चट्टान के विनियोजन की संभावना में अभिसरण करते हैं, तो सभी सक्रिय मछआरों, नेताओं और युवा राज्य मात्स्यिकी विभाग के कार्मिकों और स्वयं सहायक समूहों और सर्विस विंग/सहकारिता/फेडरेशन/संघों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व सूचना से दूसरी यात्रा आयोजित की जानी चाहिए। हितधारकों की द्वितीय बैठक (एस एस एम) में वैज्ञानिक पक्ष, डिस्प्ले और वीडियो/पी पी टी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिए। पंचायत और नेताओं के अनुमोदन से नेताओं द्वारा सिफारिश किए गए सक्रिय मछुआरों और युवाओं (न्यूनतम पांच और अधिकतम दस सदस्य) से नामांकन आमंत्रित करते हुए सभा और कार्मिकों की पूर्ण स्वीकृति के साथ कृत्रिम चट्टान उप समिति (ए आर एस सी) का गठन किया जाना चाहिए। उनका संपर्क विवरण और आधार कार्ड की जीरोक्स प्रतियाँ इकट्ठा की जानी चाहिए और ग्राम प्रधानों और कार्यान्वयन एजेन्सियों, जिसमें इन विवरणों का साझा किया जाता है, के बीच समझौते का आदान–प्रदान किया जाता है। नेताओं और ए आर एस सी सदस्यों द्वारा सुझाए गए कुछ गैर–संघर्षध्अस्थायी प्रस्तावित स्थानों (दिशानिर्देश और गहराई के साथ समन्वय) को नोट कियाजाता है और भौतिक स्थान सत्यापन के लिए एक अस्थायी तिथि तय की जाती है और सदस्यों और नावों को भी निर्धारित किया जाता है।

अगली कार्रवाई प्राथमिक सामाजिक–आर्थिक बेंचमार्क का मूल्यांकन अध्ययन और आजीविका, धंधा, आय का स्तर और मात्स्यिकी संसाधन की साझेदारी और संभाविता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना है। पूछताछ का निर्धारित प्रपत्र का उपयोग गणनाकरों की मातृभाषा में किया जाता है और निर्धारित समय सीमा के अंदर डेटा संग्रहित किया जाना है (प्रपत्र अनुलग्नक–1 में)।

चित्र 18. हितधारकों के साथ द्वितीय बैठक

चित्र 19. ए आर एस सी सदस्यों का विवरण नोट किया जाता है

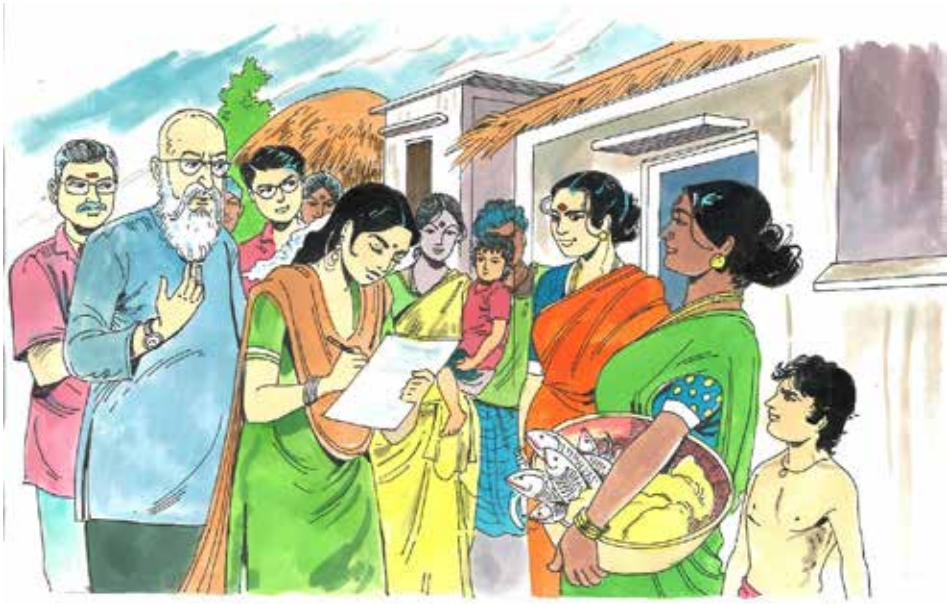

चित्र 20. सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण

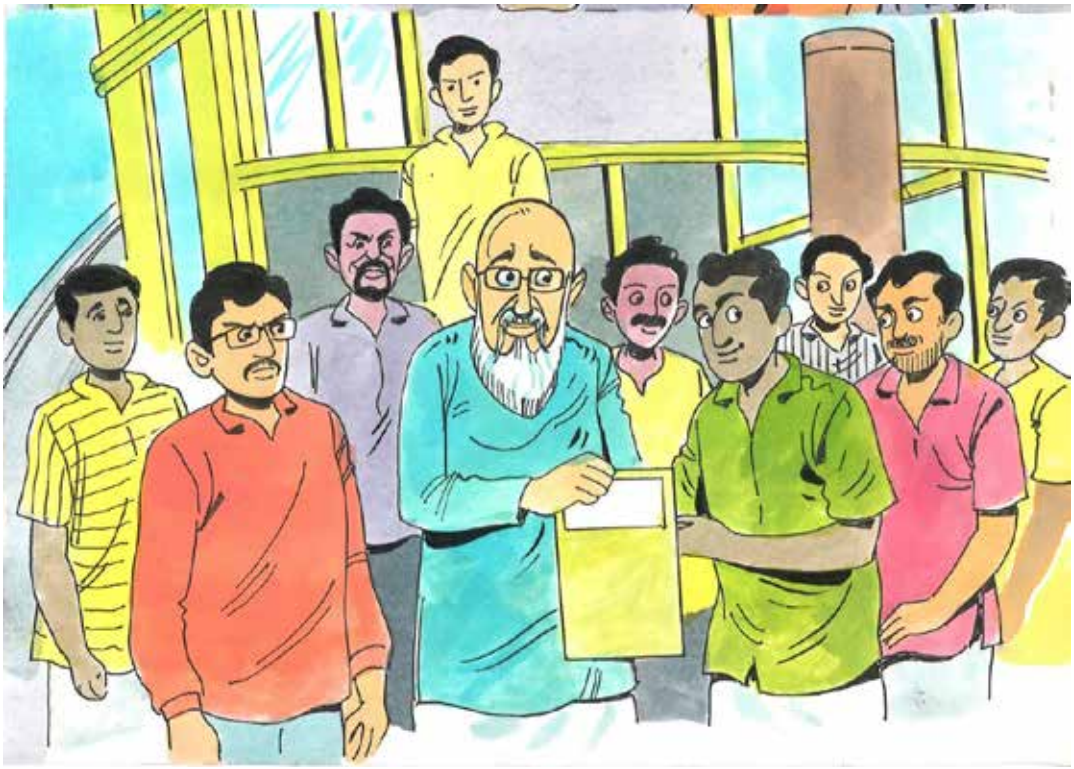

चित्र 21. समझौता ज्ञापन और समझौता पर हस्ताक्षर

मछुआरों के साथ चर्चा की जाने के बिंदु:

1. संसाधन की कमी और वास्तविकता
2. मत्स्यन गहनता और मत्स्यन प्रयासों में वृद्धि
3. घटती विविधता, आर्थिक लाभ, शेयर और विस्तार की गुंजाइश
4. तटीया संसाधन की कमी और आजीविका भी
5. पानी के तापमान और अन्य हस्तक्षेपों में वृद्धि
6. जीवन यापन की लागत में वृद्धि और बुनियादी जरूरतों की हानि
7. विकलः टिकाऊ मत्स्यन प्रथाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ में सुधार करके तटीय समुदाय के लचीलापन में सुधार
8. मछली आवास और संसाधन बहुलीकरण में पुनर्जीवन
9. मछली विविधता/ जैवभार और स्थानीय उत्पादन में नवीकरण
10. पुनर्जीवन, पुनःस्थापना एवं परिरक्षण तथा प्रजनन और रिक्रूटमेन्ट के लिए पर्याप्त स्टॉक संतुलन को आरक्षित करने के लिए कृत्रिम चट्टानों का निर्माण और प्रबंधन।
11. पारिस्थितिक तंत्र के इंजिनीयरों और अकशेरुकियों को उपनिवेशन के लिए आश्रय और धरातल बढ़ाना और अधिक उत्पादक आवासों का सृजन करना।

12. कांटा डोर मत्स्यन का पुनःपरिचय एवं लागत निवेश में घटती/ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरताध और मानव शक्ति में कमी और खोज के प्रयास और ऊर्जा में घटती लाना।
13. केवल वांछित प्रजातियों और आकार की मछलियों की पकड़ से हरित प्रौद्योगिकी और टिकाऊ मत्स्यन प्रथाओं की ओर बढ़ना।
14. स्वामित्व की अभिवृत्ति और बोने और काटने की इच्छा पैदा करना और इस तरह समुद्र रैंचन और संसाधनों की पुनःस्थापना की संभावनाओं को उज्वल करना।
15. टिकाऊपन की दिशा में मछली विविधता और समृद्धि और स्थिरता कायम रखने में भागीदार बनना।
16. कमजोर और खतरे में पड़ गयी प्रजातियों के परिरक्षण में भागीदार बनना।
17. अप्रत्यक्ष रूप से बड़े यंत्रीकृत जहाजों को समुद्र तल के मार्जन, नितलस्थ बोटम से ट्रैप नेट और ट्रामेलों के संचालन से रोकना। मछली पकड़ को अधिक आकर्षक, रोचक और किफायती बनाने में भागीदार बनना।

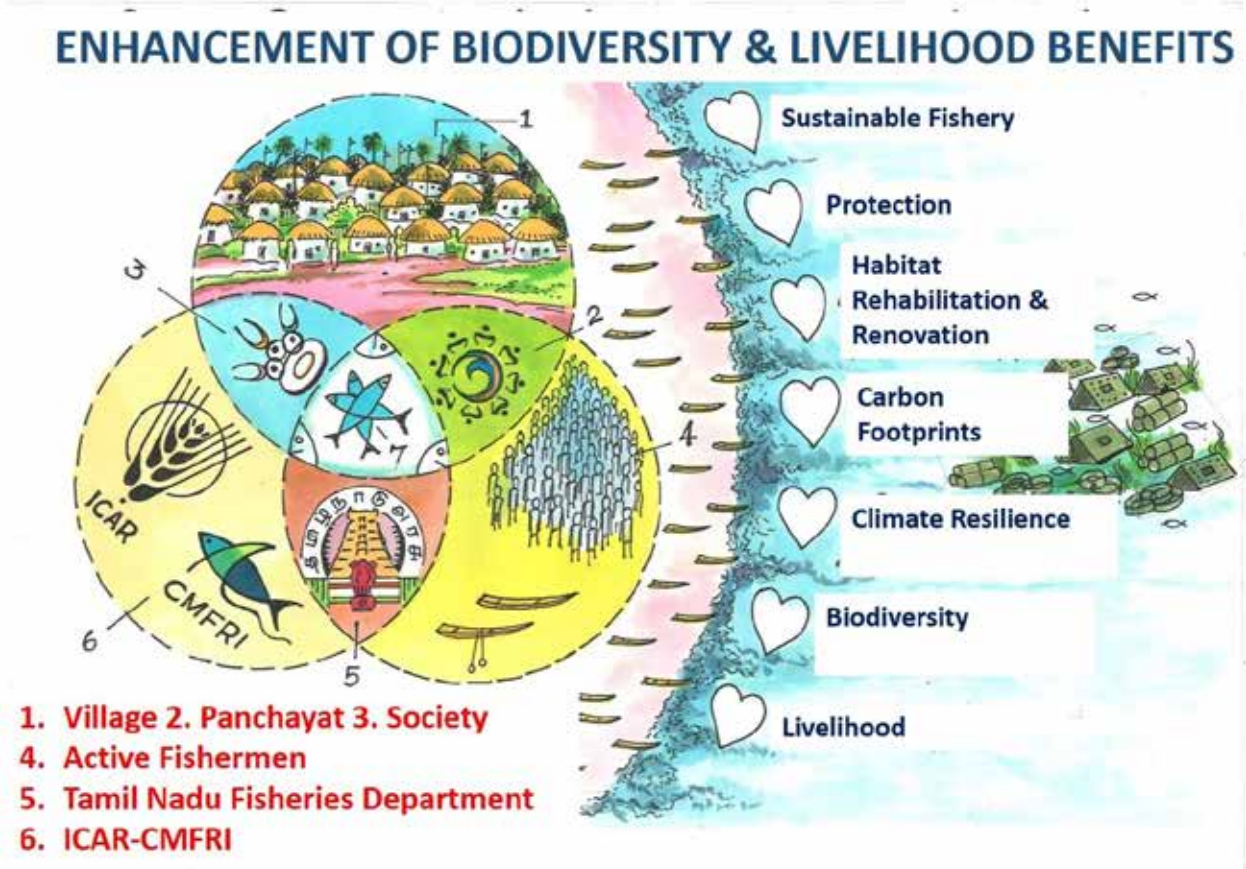

चित्र 22. कृत्रिम चट्टान उप–समिति का गठन और प्रबंधन के उद्देश्य